

भाग-2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्तावों की राज्य क्रम संख्या.....

<p>7. परियोजना /स्कीम का नाम</p> <p>(i)राज्य/संघ शासित प्रदेश</p> <p>(ii) जिला</p> <p>(iii) वन प्रभाग</p> <p>(iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि</p> <p>(v) वन की कानूनी स्थिति</p> <p>(vi) हरियाली का घनत्व प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना</p> <p>(vii) भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी</p> <p>(Viii) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव, अभ्यारण जीवमंडल आदि का भाग है। (यदि हाँ तो क्षेत्र का ब्योरा तथा मुख्य वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जाय)</p> <p>(ix) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्रणि जाति की दुर्लभ /संकटापन/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। यदि हाँ तो सत्सम्बन्धी ब्योरा दें।</p> <p>(x) क्या कोई सुरक्षित पुरातात्विक /पारम्परिक स्थल /रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो सत्सम्बन्धी ब्योरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि आपेक्षित हो तो दें।</p>	<p>यह परियोजना भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड बैतालपुर देवरिया द्वारा (गोशाईगंज-भीटी मार्ग) गोशाईगंज-रनीवा मार्ग किमी 0 1 से 2 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा संख्या 215 रक्बा 0.459 हे0 में पेट्रोल /डीजल पम्प के रिटेल आउट लेट स्थापित किये जाने हेतु मार्ग की संरक्षित वन भूमि से रिटेल आउट लेट तक की आवागमन की सुविधा के लिए वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत निम्न बिन्दुओं पर अनुमति की आवश्यकता है।</p> <p>1-सम्पर्क मार्ग जो संरक्षित वन भूमि है उसके गैर वानिकी अनुमति की आवश्यकता है।</p> <p>उत्तर प्रदेश</p> <p>अम्बेडकरनगर</p> <p>अम्बेडकरनगर</p> <p>0.064458 हे0</p> <p>संरक्षित वन भूमि</p> <p><i>हरियाली का घनत्व - 0.1</i></p> <p>यह भाग सड़क की साइड पटरी है। मौके पर संरक्षित वन भूमि पर 05 वृक्ष स्थित है। परिगणना संलग्न है।</p> <p>ये भू-भाग भू- क्षरण की दृष्टि से संवेदनशील नहीं है।</p> <p>नहीं</p> <p>सामान्यतः यूकेलिप्टस, सिरस, शीशम, अर्जुन, बबूल, आम आदि के वृक्ष सड़क के किनारे रोपित किये गये है।</p> <p>नहीं</p>
---	---

<p>8-प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं तो जाचें गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।</p>	<p>न्यूनतम है।</p>
<p>9-क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें। क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।</p>	<p>अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य नहीं किया गया।</p>
<p>10-क्षतिपूरक वनीकरण के स्कीम का ब्यौरा  (i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अनाधिकृत वनेत्तर/अवकमित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार  (ii) क्षतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर /अवकमित वन क्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप  (iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी के समय अनुसूचित लागत ढांचा आदि।  (iv) प्रतिपूरक वनीकरण के स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।  (v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टि कोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किए जाय।</p>	<p>प्रस्तावित क्षतिपूरक वनीकरण पाण्डेय पैकोली वन ब्लाक में किया जाना है।</p> <p>संलग्न है।</p> <p>संलग्न है।</p> <p>विवरण संलग्न है।</p> <p>संलग्न है।</p>
<p>11-जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम-7 , 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)</p>	<p>संलग्न है।</p>
<p>12-विभाग /जिला प्रोफाइल  (प) जिले का भौगोलिक क्षेत्र  (पप)जिले का वन क्षेत्र  (पपप) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र</p>	<p>2520 वर्ग किमी0  धारा-4 में घोषित कुल 269.78 हे0  8, कुल संरक्षित वन भूमि 30.5466 हे0</p>
<p>(पअ) 1980 से जिला /प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण  (क)दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित  (ख) वनेत्तर भूमि पर</p>	<p>17.118 हे0  रिक्त  रिक्त</p>

<p>13-प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की सिफारिस</p> <p>तिथि- 26-10-2016</p> <p>स्थान-अकबरपुर अम्बेडकरनगर</p>	<p>यह परियोजना भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० बैतालपुर देवरिया द्वारा गोशाईगंज-रनीवा मार्ग (गोशाईगंज-भीटी मार्ग ) किमी० 1 से 2 के मध्य दायी पटरी पर गाटा संख्या संख्या 215 रक्बा 0.459 हे० में स्थापित किये जाने वाले पेट्रोल /डीजल पम्प के रिटेल आउट लेट तक आने व जाने की सुविधा के लिए उक्त मार्ग की 0.064458 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति प्रदान किये जाने की संस्तुति की जाती है।</p> <p>(ए०के०शुक्ला)      प्रभागीय वनाधिकारी      वन प्रभाग अम्बेडकरनगर</p>
--	--